राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

CIN NO. U45201RJ2013SGC043014

756, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015(राजस्थान)

फोन नं. 0141–2740784 ई–मेल rphccl@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– आरपीएचसीसीएल / 350(2) / 2020–21/D-1268 दिनांक :– 9.7.20

प्रबंध निदेशक,
राजस्थान संवाद,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः–अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 12 / 2020–21 प्रकाशित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आरपीए जयपुर में विभिन्न कार्यो के लिए निविदा सूचना प्रकाशित करने हेतु भेजी जा रही है। कृपया नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः–निविदा–1 प्रति

1.	UBN:PHC2021SLOB00016

(अशोक कुमार वर्मा)
उप महाप्रबन्धक,
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण
निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी, राजस्थान पुलिस वैबसाईट, पुलिस दूरसंचार, राजस्थान, जयपुर को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड।

उप महाप्रबन्धक,
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण
निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर।

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत्)

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
CIN NO. U45201RJ2013SGC043014
756, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015(राजस्थान)
फोन नं. 0141–2740784 ई–मेल rphccl@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– आरपीएचसीसीएल / 350(2) / 2020–21/D-1260 दिनांक :– 9.7.20

ई–निविदा सूचना संख्या 12 / 2020–21

प्रबन्ध निदेशक राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा 6 वाहन वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.02.2019 एवं सर्कुलर नं. 4 / 2018 दिनांक 19.07.2018 के अनुसार किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु वाहन के एकल स्वामियों / फर्मो / ट्रेवल ऐजेन्सियों से ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती है:–

1.	वाहनों की संख्या	6 किराये के वाहन (कार)
2.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	1000 / –
3.	ई–प्रोक फीस (फॉर आर.आई.एस.एल.)	500 / –
4.	निविदा अमानत राशि	40000 / –
5.	निविदा का अनुमानित मूल्य	20.00 लाख रू (वार्षिक)
6.	ई–प्रोक पोर्टल पर निविदा प्रपत्र उपलब्ध रहने की अवधि	13.07.2020 से 23.07.2020 तक
7.	ई–प्रोक पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने की अवधि	23.07.2020 – 5.00 P.M.
8.	निविदा खोले जाने की तिथि	24.07.2020
9.	निविदा प्रपत्र सामने दर्शायी वेबसाईट पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।	www.police.rajasthan.gov.in www.sppp.raj.nic.in www.eproc.rajasthan.gov.in

UBN No: PHC2021SLOB00016

(अशोक कुमार वर्मा)
उप महाप्रबन्धक,
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण
निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर।

Format-A

S.No.	Particulars	Details to be full fill by Contractor
1.	Name of the Proprietor/partner/Director of the Concern	
2.	Name of the Concern (please upload copy of Registration)	
3.	Full Address	
4.	Contact No.	
5.	Mobile No.	
6.	E-mail Id	
7.	Pan No. (please upload copy)	
8.	GST No. (upload copy of Registration)	
9.	Bank Account No.	
10.	Bank Name	
11.	IFSC Code	
12.	Proof of depositing tender fees of Rs. 1000/- and E- Procurement fees for Rs. 500/- and EMD for Rs. 40000/- (upload on eproc Portal like copy of D.D./copy of Bankers Cheque/NEFT/RTGS receipt)	

(Signature of the Contractor)

Format-B

FINANCIAL BID

Particulars	Revised rates (Maximum)	No. of Vehicle Required	Rate offered (per month)
Vehicle type 1 For 1500 km Running per Month	Rs. 24000/- Per month for 1500 kms (GST extra, if applicable)	2	
Vehicle type 2 For 2000 km Running per Month	Rs. 28500/- Per month for 2000 kms (GST extra, if applicable)		
Vehicle type 3 For 2200 km Running per Month	Rs. 30300/- Per month for 2200 kms (GST extra, if applicable)	3	
Vehicle type 4 For 2500 km Running per Month	Rs. 33000/- Per month for 2500 kms (GST extra, if applicable)	1	
Vehicle type 5 Further, the rates for additional running/playing of vehicle for more than celing Kms. The charges shall not be more than Rs. 9.00 per K.m.	-	-	-

(Signature of the Contractor)

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

CIN No.U45201RJ2013SGC043014

756, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015(राजस्थान)

फोन नं. 0141–2740784, फैक्स: 0141–2744254, ई–मेल: rphccl@rajasthan.gov.in

निविदा की शर्तें

1. दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट लिखी जानी चाहिए।
2. किराये हेतु अनुबंधित किए गये वाहन के चलन/संधारण/चालक आदि का समस्त व्यय निविदादाता को व्यय करना होगा, डीजल/टैक्स/बीमा/रिपेयर/सर्विस/चालान इत्यादि सभी व्यय को वहन करने होंगे।
3. चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य हैं। चालक का व्यवहार विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के प्रति पूर्ण रूप से मर्यादित होना चहिए। शिकायत पर चालक को तुरन्त हटाना होगा। सामान्यतः वाहन व वाहन चालक बार–बार नहीं बदला जाना चाहिए।
4. किसी भी कारण वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उस अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा। बिना पूर्व अनुमति के वाहन अनुपस्थित रहने पर राशि रू. 1000/– प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जाएगी।
5. वाहन में किसी प्रकार की टूट फूट या दुर्घटना होने पर विभाग का किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
6. लोग बुक चालक के पास रहेगी निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार करनी होगी एवं यात्रा के सभी स्थानों पर ठहराव का समय व प्रयोग किए गए किलोमीटर एवं पुनः यात्राा आरम्भ का समय ड्राईवर को लिखना होगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के इन्द्राज पर हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी चालक की होगी।
7. वाहन को जब भी बुलाया जावेगा उसे उपस्थित होना होगा। अगर समय नहीं दिया गया हैं तो ऑफिस समय में आवश्यक रूप से वाहन उपस्थित होगा। आवश्यकता होने पर वाहन 24 घण्टे विभाग के नियंत्रण में चालक सहित रहेगा। वाहन उपलब्ध न करवाने की स्थिति में निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी, जिसकी भरपाई निविदादाता से की जाएगी।

8. निविदादाता निविदा स्वीकृति से 07 दिन की अवधि के अन्दर वाहन उपलब्ध कराएगा अन्यथा निविदा निरस्त की जाकर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

9. वाहन के रजिस्ट्रेशन/इन्श्योरेन्स/रोड टैक्स/परमिट/फिटनेस एवं चालक का लाईसेंस आर.टी.ओ एवं मोटर वाहन कानून के तहत समस्त कार्यवाही पूर्ण करके प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतियां राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लि.,जयपुर में देनी होगी तथा मूल दस्तावेज वाहन के साथ हरवक्त रखने होगें।

10. राज्य के बाहर जाने पर अतिरिक्त टैक्स यदि लगता है तो मूल रसीद प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाएगा व टोल टैक्स का भुगतान मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।

11. वाहन के किराए का भुगतान प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार वैधानिक कटौतियां/आयकर काटकर किया जाएगा।

12. निविदा के साथ निविदा मूल्य की 2% धरोहर राशि 40,000/- रूपये जमा कराने का प्रुफ, ई-प्रोक्योरमेंट फीश राशि 500/- रूपये जमा कराने का प्रुफ, निविदा प्रपत्र मूल्य राशि 1000/- जमा करने का प्रूफ ईप्रोक (Eproc) पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हैं। राजस्थान पुलिस आवासन एवम् निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा नगद राशि अन्तरण नहीं किया जाता हैं। इसलिए धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र मूल्य व ई-प्रोक्योरमेंट की राशि निगम के **बैंक खाता संख्या 0298102000026035 आई.डी.बी.आई. बैंक, टोंक रोड, IFSC Code IBKL0000298 RTGS/NEFT/IMPS** के द्वारा जमा करवाना होगा।

13. सफल निविदादाता को मूल्य की 5% परफोरमेंस सिक्योरिटी राशि जाम करानी होगी, जिसमें उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गई धरोहर राशि को समायोजित कर लिया जावेगा। जमा परफोरमेंस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा।

15. राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/ मण्डल सदस्य स्वयं एवं नजदीकी रिश्तेदार निविदा में भाग नहीं ले सकेगें एवं जिन फर्मों द्वारा पूर्व में निविदा के द्वारा निगम में अपनी सेवाएं दी गई हो एवं उनकी सेवाएं असन्तोषप्रद होने के कारण उन फर्मों का अनुबन्ध निगम द्वारा समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया हो तो वे फर्में निविदा में भाग नही ले सकेंगी।

16. किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने एवं नेगोशियेशन एवं अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा।

17. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य के 0.25% की लागत के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र कार्यादेश जारी होने के 7 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। जो कार्य अवधि बढ़ाने की दिनांक तक मान्य होगा।

18. निविदादाता पूर्व में अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए एवं किसी संवेदक का निगम के साथ पूर्व अवधि में कार्य असंतोषजनक पाया गया है तो उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

19. वाहन मॉडल जनवरी 2017 व उसके बाद का होना चाहिए व मैकेनिकल फिट कन्डीशन में होना चाहिए।

20. वाहन टैक्सी परिमिट पास का होना आवश्यक है। वाहन का कम्प्रहेंसिव बीमा होना आवश्यक है।

(जिसमें आर.टी.ओ. से प्रमाणित क्षमता अनुसार सवारियों का बीमा सम्मिलित हो।)

21. अनुबंध अवधि एक वर्ष के लिए होगी। उक्त अवधि में कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए कार्य अवधि बढायी जा सकती है।

22. अवधि समाप्त होने पर तीन माह तक बढाने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

23. वाहन ठेकेदार अपने स्तर पर बिना निगम के पूर्व अनुमति वाहन नहीं बदल सकेगा।

24. यदि कोई भी वाहन ठेकेदार अपना अनुबंध पूर्ण करने से पूर्व ठेका छोड़कर चला जाता है तो बकाया बिल राशि व अमानत/सुरक्षा राशि जब्त कर जी जाएगी।

25. किसी भी शर्त के उल्लघंन के कारण वाहन स्वामी पर आर्थिक दण्ड आरोपित किया जा सकेगा तथा संवेदक का ठेका भी समाप्त किया जा सकेगा। जिसकी हानि के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

26. वाहन ठेकेदार को निगम की मांग पर जब कभी (As and When) आवश्कयता के आधार पर भी वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किराये का वाहन उपलब्ध करवाना होगा।

27. अनुबन्ध अवधि समाप्ति पर वाहन स्वामी को संबंधित अधिकारी से अदेयता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28. वाहन का मासिक बिल संबंधित महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/सहायक अभियन्ता से प्रमाणित करवा कर प्रमाणित लोग बुक के साथ प्रत्येक माह की 5 तारीख का प्रस्तुत करना होगा।

29. वाहन ठेकेदार द्वारा मासिक बिलों के भुगतान से पूर्व पिछले माह के भुगतान (अशोक कुमार वर्मा) सम्बन्ध में बिल पर सम्बन्धित वाहन स्वामी उप महाप्रबन्धक राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का अदेय प्रमाण–पत्र देना होगा।

30. सशर्त निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।

31. वाहन ठेकेदार द्वारा संबंधित वाहनों के मालिक/ड्राईवर को समय पर उनका भुगतान नहीं किया गया हो और इस संबंध में इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो निगम को यह अधिकार रहेगा कि वाहन ठेकेदार द्वारा जमा की गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से उन वाहन ड्राईवरों का भुगतान कर दिया जावेगा।